

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

मनरेगा नियुक्ति विज्ञापन संख्या - 01/2023-24

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-4729, दिनांक-04.06.2007, अधिसूचना संख्या -6440, दिनांक-17.07.2012 नियुक्ति सेवाशर्त कर्तव्य (संशोधन)नियमावली 2012 एवं संकल्प ज्ञापांक-(N) 848, दिनांक-21.03.2017 नियुक्ति सेवाशर्त संशोधित नियमावली 2017, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2020/दिनांक-09.04.2010 एवं यथासंशोधित ज्ञापांक-1617 दिनांक-17.03.2023 के आलोक में सूचित किया जाता है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अधिनियम के अंतर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिले में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्युटर सहायक एवं रोजगार सेवक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति किया जाना है। रिक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र Online आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों हेतु पदवार वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी सरायकेला-खरसावाँ जिले के Web Site- seraikela.nic.in पर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ तथा प्रखण्ड कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र०	पद का नाम	रिक्तियों की सं०						
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	पि.वर्ग	आ०क०वर्ग	अनारक्षित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	0	01	0	0	0	0	01
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	0	0	01	0	01	0	02
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	0	03	0	0	01	03	07
4	लेखा सहायक	0	01	01	0	01	0	03
5	कम्प्युटर सहायक	0	01	01	0	0	0	02
6	रोजगार सेवक	0	06	01	0	02	06	15

(नोट - आरक्षण रोलर के आधार पर रिक्तियों की कोटिवार संख्या में आवश्यकतानुसार संशोधन हो सकता है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।)

आवेदन की प्रक्रिया/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि - आवेदकों को Online विभागीय Recruitment Portal <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर जाकर आवेदन करना होगा। जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक-20.09.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक-09.10.2023 तक भरा जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु निम्नवत् निदेश एवं शर्तें :-

(1) शैक्षणिक योग्यता -

क्र०	पदनाम	योग्यता
1	<u>प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी</u>	<p>1. <u>अनिवार्य योग्यता -</u></p> <p>सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा, उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है, परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा।</p> <p>2. <u>अतिरिक्त योग्यता -</u></p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0कम्प्युटर/बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्युटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएं मानी जाएगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर को बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जाएंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा।</p> <p>(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जाएंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्युटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।</p>



2	<u>तकनीक सहायक</u> <u>(सहायक अभियंता के समकक्ष)</u>	<p>1. <u>अनिवार्य योग्यता</u> - सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक० अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p>2. <u>अतिरिक्त योग्यता</u> - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक० तथा पी०जी०डी०सी०ए०/एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्युटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।</p>
3	<u>तकनीक सहायक</u> <u>(कनीय अभियंता के समकक्ष)</u>	<p>1. <u>अनिवार्य योग्यता</u> - सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।</p> <p>2. <u>अतिरिक्त योग्यता</u> - (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक०/बी०ई०, बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्युटर/ बी०एस०सी० कम्प्युटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्युटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्युटर को बी०एस०सी० कम्प्युटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत में 5 क्रमशः घटा दिये जाएंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्युटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। (c) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जाएंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।</p>
4	<u>लेखा सहायक</u>	<p>1. <u>अनिवार्य योग्यता</u> - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम ऑनर्स या सामान्य बी०कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम०कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकें परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।</p> <p>2. <u>अतिरिक्त योग्यता</u>- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम, बी०सी०ए० तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जो कि अभ्यर्थी में बी०सी०ए० के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया जो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि रखा जाएगा।</p>

5	<u>कम्प्युटर सहायक</u>	<p>1. अनिवार्य योग्यता -</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स (2) बी0एस0सी0 कम्प्युटर सामान्य (3) बी0सी0ए0 (4) सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण। <p>(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता -</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्युटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्युटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।</p>
6	<u>ग्राम रोजगार सेवक</u>	<p>1. अनिवार्य योग्यता -</p> <p>सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से इंटरमीडियेट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडियेट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता -</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।</p> <p>3. अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियेट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।</p>



कंडिका 1-6 में वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएं जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगा। CGPA/SGPA/GRADE के अंक को Conversion Certificate संलग्न करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किया जाय।

नोट - अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/DEB/AICTE/NCVT/SCVT से मान्यता संबंधित कागजात/मार्कसीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA / DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कसीट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जाएगी।

(2) मासिक परिलब्धि/संविदा राशि - ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-(N) 1028, दिनांक-04.08.22 के आलोक में मासिक मानदेय निम्नप्रकार निर्धारित है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर संशोधित देय होगी।

क्र0	पद का नाम	मासिक परिलब्धि/संविदा राशि
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	23,140.00 रु0 (तेइस हजार एक सौ चालीस) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियन्ता के समकक्ष)	22,000.00 रु0 (बाईस हजार) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियन्ता के समकक्ष)	19,000.00 रु0 (उनीस हजार) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
4	लेखा सहायक	14,300.00 रु0 (चौदह हजार तीन सौ) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
5	कम्प्युटर सहायक	14,300.00 रु0 (चौदह हजार तीन सौ) प्रतिमाह (एक मुश्त संविदा राशि)
6	ग्राम रोजगार सेवक	11,000.00 रु0 (ग्यारह) प्रति माह (एक मुश्त संविदा राशि)

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी -वर्ग -02/तकनीकी सहायक(सहायक अभियन्ता के समकक्ष)-वर्ग-02/तकनीकी सहायक(कनीय अभियन्ता के समकक्ष)-वर्ग-03/लेखा सहायक-वर्ग-03/कम्प्युटर सहायक-वर्ग-03 एवं ग्राम रोजगार सेवक-वर्ग-03 की सेवा बिलकुल अस्थायी एवं संविदा आधारित है तथा इसकी स्थायी होने की कोई संभावना/प्रावधान नहीं है। अतः सेवा के स्थायीकरण/परिलब्धियों में वृद्धि इत्यादि अनावश्यक मांग पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

(3) आयु सीमा - उपरोक्त पदों के लिए आवेदकों की आयु सीमा- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के संकल्प संख्या-29, दिनांक 01.04.2021 के अनुसार निम्नवत् होगी। आयु सीमा की गणना दिनांक-01.09.23 के आधार पर (निम्नतम 18 वर्ष) की जाएगी।

क्र0सं0	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
I	अनारक्षित (पुरुष)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(पुरुष)	35 वर्ष	45 वर्ष
II	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग(पुरुष)	37 वर्ष	47 वर्ष
III	महिला(अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष
IV	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(महिला एवं पुरुष)	40 वर्ष	50 वर्ष

ख) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Serviceman) को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

- (4) **राष्ट्रीयता** - आवेदक भारत का नागरिक हो।
- (5) **आरक्षण** - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग तथा महिला/निःशक्ता एवं खेल-कुद के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के (सरायकेला-खरसावाँ जिला के लिए प्रभावी) अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आरक्षण के दावा हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी पत्र/आय प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा आय तथा सम्पति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता के दावा हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा सकेगी तथा वे अनारक्षित कोटि में परिगणित किये जाएंगे।
- (6) प्रारम्भिक चरण में उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कार्य अवधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चाज उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
- (7) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11(ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
- (8) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि के सेवा की आवश्यकता नहीं होने पर वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे, परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
- (9) उक्त सभी पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा, साथ ही अपने आवेदन-पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा की झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। अर्पित शपथ पत्र कभी भी असत्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- (10) जिला चयन समिति, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
- (11) चयन संबंधी प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगी। समिति किसी भी समय विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- (12) उपरोक्त सभी पदों पर चयन अभ्यर्थियों का पदस्थापन सरायकेला-खरसावाँ जिला के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (13) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यतानुसार आवेदन समर्पित कर सकेंगे। परन्तु अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- (14) उल्लेखित सभी निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में समर्पित अभ्यावेदन अमान्य मानकर निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (15) विज्ञापन में किराी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्तक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

Boor

- (16) ऑनलाईन आवेदन के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र,अंक-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना आवश्यक होगा।
- (17) जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारंभिक मेधा सूची से आवेदकों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- (18) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- (19) सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड,राँची का पत्रांक-5994, दिनांक-18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। जिसकी वैधता 02 वर्ष रहेगी।
- (20) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगुनी संख्या में प्रारंभिक मेधा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर तैयार प्रारंभिक मेधा सूची ही अंतिम मेधा सूची होगी। ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति प्रारंभिक मेधा सूची से की जाएगी। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,तकनीकी सहायक(सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्युटर सहायक के पद पर प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का Online दक्षता परीक्षा ली जाएगी। Online दक्षता परीक्षा Qualifying Nature का होगा। Online दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।



उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ

ज्ञापांक ...479...../मनरेगा, दिनांक ...15/9/23

- प्रतिलिपि - सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को प्रेषित करते हुए निदेश है कि उपरोक्त विज्ञापित को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि - जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को प्रेषित करते हुए निदेश है कि उक्त विज्ञापन को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना को जिले के वेबसाईट seraikela.nic.in पर अविलम्ब Upload कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि - सरकार के उप सचिव,ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड,राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि नियुक्ति विज्ञापन संख्या -01/2023-24 विभागीय **Recruitment** Portal [http:// applyrdd. jharkhand. gov.in](http://applyrdd.jharkhand.gov.in) पर अभ्यर्थियों से Online आवेदन समर्पित करने हेतु Link उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि - मनरेगा आयुक्त,ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड,राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ

आवेदन कैसे करें :-

क) आवेदक के द्वारा 20.09.2023 से दिनांक-09.10.2023 अपराह्न 5.00 बजे तक वेबसाईट [http// applyrdd.jharkhand.gov.in](http://applyrdd.jharkhand.gov.in) पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण -पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा -

1. स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो
 2. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक पत्र
 3. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र
 4. आरक्षण का दावा करनेवाले आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र
 5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र
 6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
 7. शपथ पत्र-विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। जैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 8. जन्मतिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र
 9. सभी अपलोड किये जानेवाले प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में संलग्न प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
 10. जिन आवेदकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Grade/CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप अंकित हो, उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अन्तरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जैसे आवेदक जिनका 5 वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर का एकीकृत(Integrated) अंक पत्र हो, उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर का पृथक अंक पत्र/प्रतिशत का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
- ग) अहर्ता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
- घ) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।
- ङ) निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- च) आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

h
14/11/23
उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं.

दिनांक

वर्ष के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... ग्राम/मोहल्ला डाकघर जिला
..... राज्य के स्थायी निवासी हैं और जिनका नीचे चिपकाया गया
फोटोग्राफ अभिप्रमाणित किया गया है ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं और वित्तीय वर्ष
..... में इनकी कुल वार्षिक आय* रुपए 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है। इनका परिवार**
निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से कोई भी संपत्ति धारण नहीं करता है***।

- I. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि
 - II. 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक वर्ग फीट का आवासीय प्लॉट
 - III. अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय प्लॉट
2. श्री/श्रीमती/कुमारी का संबंध जाति से है जो अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

आवेदक	का
पासपोर्ट	आकार
का	अद्वयतन
फोटोग्राफ	

*टिप्पणी 1: आय के रूप में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, इत्यादि सभी शामिल हैं।

**टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' का अर्थ आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति सहित उसका/उसकी पिता-माता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।

***टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दर्जे का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों/शहरों में धारित सम्पत्ति को जोड़ा जाएगा।